The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): May I answer both questions Nos. 875 and 876 together?

Mr. Speaker: If it is so convenient to him, he may.

Shri Mehr Chand Khanna: They have a bearing on the same subject.

Shri Daji: No, Sir.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अलग अलग हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अलग अलग हैं बहुत अच्छा।

जनपथ होटल

+

*८७५. **श्री बाल्मीकी :**
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनपथ होटल का प्रबन्ध एक नये निकाय को सौंपा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो होटल का सरकारी प्रबन्ध किन कारणों से हटाया जा रहा है ;

(ग) क्या लम्बी सेवा वाले सभी कर्मचारी निकाल दिये जायेंगे ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप श्रेणीवार कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां।

(ख) यह केवल अंशत: सरकारी प्रबन्ध के अधीन था। १ अप्रैल १९६४ से यह पूरी तरह पब्लिक सेक्टर में होगा।

(ग) और (घ). केवल वे अस्थायी कर्मचारी निकाले जायेंगे, जो केन्द्रीय सरकार में किसी स्थायी पद पर नहीं हैं या जो होटल जनपथ या सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पदों को स्वीकार नहीं करेंगे या जो होटल जनपथ द्वारा नहीं चुने जायेंगे।

(ङ) इससे चतुर्थ श्रेणी के २२ कर्मचारी और तृतीय श्रेणी के ३० कर्मचारी प्रभावित हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सलाह दी गई थी कि वे जनपथ होटल लिमिटेड को आवेदन पत्र दें। एक व्यक्ति इंटरव्यू में आया नहीं और ३ नहीं चुने गये। बाकी १८ व्यक्तियों में से, जो चुने गये थे, एक को एक अन्य सरकारी कार्यालय में नौकरी मिल गई है, एक ने इस होटल की नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और ८ को १६ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से ९ नहीं चुने गये, एक ने इस्तीफा दे दिया है १८ को जनपथ होटल्स लिमिटेड ने और २ को राजसम्पत्ति निदेशालय ने अपने यहां रख लिया है।

[(a) Yes.

(b) It was only partially under State management. From the 1st April, 1964, it will be completely in the public sector.

(c) and (d). Only such members of the temporary staff as do not hold any permanent post in the Central Government or do not accept alternative posts offered by the Hotel Janpath or by Government or are not selected by Hotel Janpath will be retrenched.

(e) 22 members of Class IV staff and 30 of Class III are affected. Class IV staff was advised to apply to the Janpath Hotels Ltd. One did not appear for interview and 3 were not selected. Out of the remaining 18 persons who were selected, one has found employment in another Gov-

ernment office, one has accepted the offer of employment in the Hotel and the remaining 16 have refused the offer.

Of the Class III staff, 9 were not selected, one has resigned, 18 have been absorbed by Janpath Hotels by the Directorate of Estates.]

श्री बाल्मीकी : क्या यह सच है कि जो जनपथ होटल के कर्मचारी हैं, चाहे वे किसी भी कटेगरी के हों और जिन में बहुत से परमानेन्ट भी हैं क्वैसी परमानेन्ट भी हैं रोजगार के दफ्तर से आये हैं, उन की सर्विस रेकार्डस भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन पर नोटिस सर्व किये गये हैं। दूसरी बात यह है . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले एक का जवाब हो जाने दीजिये।

श्री बाल्मीकी : अगर उन को रक्खा भी गया है तो बहुत नीचे के स्थानों पर रक्खा गया है : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह दुरुस्त नहीं है। मुझे उन कर्मचारियों से हमदर्दी है। जब कांस्टिट्यूशन हाउस . . . .

श्री बागड़ी : हमदर्दी है शायद इसी लिये उन को निकाल रहे हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब कांस्टीट्यूशन हाउस खाली कराया गया तो वहां के ५० आदमियों को लोदी हाउस में जगह दे दी गई। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनपथ का गवर्नमेंट स्टाफ सिर्फ ५० का था और वोल्गा का २६४। वोल्गा का कंट्रैक्ट बहुत बरस तक रहा। उस का कंट्रैक्ट हम ने ३१ मार्च को खत्म कर दिया। जब हम एक को पब्लिक सेक्टर में ले आये तो जो वोल्गा का स्टाफ २६४ लोगों का था, जो कि जरूरी नहीं था, हम ने उन में से भी २४३ को रख लिया। गवर्नमेंट स्टाफ जो ५० का था उस में से ४० को रख लिया। यानी ३१४ आदमियों में से हम ने २८३ को जगह दे दी। मगर मुश्किल यह है कि जब भी रिट्रेंचमेंट होता है जो सब से नीचे होता है उस को नोटिस देते हैं। श्री बाल्मीकी मुझ से सुबह मिले भी थे, जो भाई एफेक्ट हुए हैं वह भी मिले थे। मैंने उन को तसल्ली दिलाई है कि मैं दुबारा केसेज को देखूंगा। अगर किसी का रेकार्ड खराब नहीं है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० का सारा महकमा है, दूसरे होस्टल हैं। उन में से कहीं न कहीं मैं उन का प्रबन्ध जरूर कर दूंगा। मैं किसी को निकालना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी का रेकार्ड अच्छा नहीं है, कभी किसी ने किसी तरह का झंडा उठाया कभी किसी दूसरे किस्म का झंडा उठाया, तो कैसे काम चल सकता है। अगर मैं अपने कस्टमर्स से ५०, ६० रु० रोज लेता हूं तो मेरा फर्ज है कि उन को सर्विस ठीक से दूं।

श्री बाल्मीकी : मंत्री जी जानते हैं कि ऐसे बहुत से ऊंचे और उचित स्थान हैं जिन पर बाहरी विभागों से, बाहर के जरियों से लोग लाये जा रहे हैं, लेकिन वहीं के उन स्थानों के लिये ऐसे लोगों को, जो उन के योग्य हैं, और काम कर सकते हैं, नहीं रक्खा जा रहा है। क्या मैं यह समझूं कि जो मौजूदा मैनेजमेंट है वह फेवरिटिज्म और नेपाटिज्म का बर्ताव कर रहा है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अगर माननीय सदस्य मुझे कोई ऐसा केस बतलायें तो खुद जाती तौर पर उस की तहकीकात करूंगा। मैं ने अभी यह कहा कि वोल्गा के जो २६४ आदमी थे जो कि मेरे ऊपर चार्ज नहीं थे, उन में से तकरीबन सब को यानी २४३ को मैंने रख लिया। सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि कहीं वह भाई बेकार न हो जायें

श्री ओंकार लाल बेरवा : अभी जनपथ होटल के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकार

से ऐसी मांग की है कि उन के जो स्थान थे उन्हीं पर उन को रख लिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों ने सरकार के सामने क्या मांगें रखी हैं, उन में से आप ने कितनी ऐक्सेप्ट कर लीं हैं और कितनी रिजेक्ट कर दी हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : साहब, हड़ताल तो नाम की है पूरी हड़ताल नहीं है...

श्री ओंकार लाल बेरवा : पूरी हड़ताल और क्या होगी। क्या मर जायें वह लोग।

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो देने दीजिये।

श्री दाजी : अगर आप का जवाब ऐसा रहेगा तो पूरी हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब माननीय सदस्य जवाब भी नहीं सुनेंगे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं रात को खुद गया हूं। मैं ने खुद तमाम चीजों को देखा। वहां कुछ आदमी बठे हुए हैं मैं ने अभी अभी ऐवान में अर्ज किया है कि २६४ आदमी बोलगा के थे उन में से २४३ को नौकरी आफर की गई है, ५० आदमी जो गवर्नमेंट के थे उन में से ४० को नौकरी आफर हुई है। मुझे उन से हमदर्दी है। मैं उन के केसेज को दुबारा देखने को तयार हूं। मैं माननीय सदस्य श्री बाल्मीकी से कहना चाहता हूं कि मैं उन के साथ बैठने के लिये तैयार हूं। लेकिन एक चीज की सफाई कर दूं। और मेरा यह काम खत्म हो चुका है तो मैं इस के लिये किसी आदमी को नहीं रख सकता क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि मैं मुल्क का रुपया उन के लिये दूं जिन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे और भी होटेल्स बन रहे हैं। मैं हर एक आदमी को जगह दूंगा और उन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा।

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that these unfortunate victims have made petitions and representations with regard to this matter but these have been summarily rejected without any hearing or consideration whatsoever?

Shri Mehr Chand Khanna: The hon. Member knows all about the Constitution House. 50 of them....

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not referring to Constitution House. I am referring to Janpath Hotel.

Shri Mehr Chand Khanna: I am just saying that we tried to accommodate everyone of them in the Lodi House. I am doing the same thing here. If my hon. friend calls those who are being retrenched as unfortunate, I certainly feel sorry for them, but I have assured the House that I want to engage them and I want to employ them. The moment vacancies become available, they shall have the first right in my Ministry to be absorbed.

Shri Hari Vishnu Kamath: He has not answered my question. I want to know whether the petitions and representations have been summarily rejected or not.

Mr. Speaker: He has already promised that he will look into those cases again.

Shri Hari Vishnu Kamath: I want to know whether at the moment they have been rejected without any consideration.

Mr. Speaker: If the hon. Member has got any cases he may bring them to the hon. Minister's notice.

Shri Hari Vishnu Kamath: He is evading an answer to my question. I wanted to know whether the petitions and representations had been summarily rejected or not.

Mr. Speaker: When the hon. Minister has said that he is prepared to look into those cases, why should the hon. Member put that question?

Shri Mehr Chand Khanna: This is not correct. Some of the notices which my hon. friend Shri Balmiki brought to my notice this morning

are not such as are going to expire in the next two or three or four days.

Shri Nath Pai: While welcoming this reiterated assurance that no employee will be deprived of his job and that he will be providing them with alternative jobs if not in the same place, may I know whether whenever those jobs were offered they were offered on a basis which was absolutely to the disadvantage of the employees? Since the hon. Minister has denied this earlier, may I categorically point out that an employee drawing Rs. 195 currently was offered a job on Rs. 160, and if he says 'No', another employee is brought? If that is so, may I know whether this is fair and whether we should allow the impression that nationalisation means loss of privileges and rights of the employees? May I finally ask him this question? Since he has given a long reply, the question also has arisen like this.

Mr. Speaker: Because he has given a long reply, should the hon. Member's question also be long?

Shri Nath Pai: Otherwise, the question would not give satisfaction. I have been good enough to welcome his assurance, but the fact remains that whereas retrenchment is going on on the one hand, on the other, for the same jobs employees are being recruited. How does the hon. Minister square these two things, retrenchment on the one hand, and recruitment for the same jobs on the other?

Shri Mehr Chand Khanna: Those people who were serving in the Janpath Hotel for all these years were not the charge of my Ministry.....

Shri Nath Pai: That is only a technicality. The hon. Minister is unnecessarily bringing in the Volga affair. The House would not get a clear impression if he brings in the Volgas. The Volgas were the Government caterers there. The hon. Minister is unnecessarily bringing in the Volgas. I do not want to attack those people, but those Members who do not go into the details will get misled. It is not the Volgas whom we are concerned with, but, we are concerned with the Government of India management.

Shri Mehr Chand Khanna: There was a dual control of this Janpath Hotel. It was under the administrative control of the Directorate of Estates and the caterers were Volgas. This had gone on for a number of years. It was decided that we should convert the entire institution or concern into a public sector undertaking which we have done. Those persons who were with the Volgas and who had been serving there for all these years were equally poor and they also belong to the same category, and we have absorbed those of them that suited us, and as I have said, we have taken over about 243 or so out of about 250 or 260.

As regards Government servants, they were the officers of the Directorate of Estates. We have retrenched only the lowermost but we propose to take them in the other hostels under construction. Again, as I have told you, it may be only a temporary retrenchment subject to the examination of their records. If after examination the records are found to be good, I propose to provide them with employment very soon.

Mr. Speaker: Shri Sheo Narain.

Shri Daji: On a point of order. The question that had been put was specific, but that has not been replied to.

Mr. Speaker: Order, order. I have called the next Member already. The point of order does not arise now.

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि जो ५० आदमी थे उनमें से आपने १० को बाप कर दिया है, क्या उनको आप दूसरी जगह देंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो ठेकेदार के आदमी मेरे होटल में काम करते थे उन तक को मैं ने ले लिया है। ऐसा मैं ने कांस्टीट्यूशन हाउस में किया, वैस्टर्न कोर्ट में भी यही

कर रहा हूं। हमको दो सौ २५० आदमियों को नौकरी से बाहर भेज देना मुनासिब नजर नहीं आया। हम हर एक का रिकार्ड देख रहे हैं और हर एक के साथ हमारी हमदर्दी है। बाकियों के लिए भी थोड़े दिनों के बाद कुछ न कुछ कर दूंगा।

Shri Nambiar: What exactly is the reason for the retrenchment of these men who have put in eight or nine years of continuous service and who have no blemish in their records, and many of whom have been made quasi-permanent? Why should they be retrenched at all, when there are vacancies? It is only a question of change of management, but Government continue to manage it.

Shri Mehr Chand Khanna: I have just stated that in the conversion of the Kotah House into a Defence Hostel, the demolition of the Constitution House and the conversion of the Janpath Hotel into a public sector undertaking, some retrenchments were inevitable and had to be made. But we have retrenched only those who are on the lowest rung of the ladder. We have made no discrimination, and we have gone to the lowest man possible. That is the general system with Government; whether a person is temporary or quasi-permanent, those who are to be retrenched first are those from the lowest rung of the ladder.

श्री अ० प्र० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार कर्मचारियों की सरविस कंडीशन्स के मुताबिक अगर उनकी सरविस के रिट्रेंचमेंट का सवाल आता है तो उनको दूसरी जगह नौकरी दी जाती और अगर गैर सरकारी मुहकमों के आदमियों को सरकार लेती है तो उनकी सूटेबिलिटी वगैरह की जांच करने का सवाल पैदा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो कानून गैर सरकारी मुहकमों के लोगों पर लागू होता है उसको सरकारी मुहकमे वालों पर क्यों लागू किया जाता है, सूटेबिलिटी आदि के बारे में, और उनको क्यों आल्टरनेटिव जाब नहीं दी जाती ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि २५ मार्च से ३१ मार्च तक बिल्कुल नए आदमी एम्पलाय किए गए हैं और जो पुराने आदमी काम करते थे उनको लोएस्ट कह कर रिट्रेंच कर दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अगर आपका नए आदमियों से उन आदमियों से मतलब है जो कि जनपथ होटल में पांच पांच सात-सात साल से काम कर रहे थे, तब तो ठीक है उनको रखा गया है। गो कि वह सरकारी नौकर नहीं थे, मैं ने उनको रखा। उनके केसेज को देख कर उनको रखा गया है। बिल्कुल नया आदमी कोई नहीं लिया गया। मैं उनके केसेज को देखूंगा, और अगर किसी बिल्कुल नए आदमी को लिया गया है और पुराने आदमियों को उस जगह से निकाल दिया गया है तो मैं उस नए आदमी को निकाल दूंगा।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी

+

*८७६. श्री कछवाय : श्री बड़े : श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री लहरी सिंह : श्री बाल्मीकी :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी होस्टलों अर्थात् कोटा हाउस, वैस्टर्न कोर्ट, पटौदी हाउस, रायसीना होस्टल, लोदी होस्टल, जनपथ और वर्किंग गर्ल्स होस्टल के कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी के नोटिस दे दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के नोटिस देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?